**के. रहमान ख़ां कार्यशीलता के एक नए कुरुक्षेत्र में**

**डा. सैयद ज़फ़र महमदू**

केन्द्र में यूपीए सरकार की अवधि अब डेढ़ वर्ष से भी कम रह गयी है। इस छोटी सी अवधि के लिए के. रहमान ख़ां साहब ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभाला है। मैं ने उनसे मिलकर उन्हें याददाश्त-पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यूपीए के दस वर्षों के शासन काल के बचे हुए 14 महीनों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उन मुद्दों पर उनसे मेरी बातचीत भी हो गयी है। नीति बनाना राजनीतिक शासन का काम होता है तथा नीति को क्रियान्वित करना प्रशासनिक नौकरशाहों का। इस प्रक्रिया में ख़राबी तब आती है जब मंत्रीगण आलसीपन और स्वार्थपरता या असमर्थ और अयोग्य होने की वजह से नीति बनाने का महत्तवपूर्ण काम भी नौकरशाहों पर छोङ देते हैं। जबकि रहमान ख़ां साहब तो महनती भी हैं और योग्य भी हैं। वह व्यवसायिक रूप से चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हैं और भावनात्मक रूप से अपने समुदाय के पिछङे पन को दूर करने के लिए चिंतित भी है। हमारी दुआ और मनोकामना है, साथ ही माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद भी, कि वह अपना एक दिन भी बेकार नहीं होने दें। उनको मंत्रालय की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ही लेनी होगी।

31 जुलाई 2011 को रहमान साहब ने *टू सर्किल्स डाट नेट* (TwoCircles.net) के माध्यम से यह बयान दिया था कि वक़्फ़ सम्पत्तियों की प्रबंधन व्यवस्था को बहतर बनाने के लिए एक अलग काडर (इण्डियन वक़्फ़ सर्विस) बनाई जानी चाहिए जैसा कि सच्चर कमेटी ने सिफ़ारिश की है। यह बयान उन्होंने इस लिए भी दिया कि वह इस से पहले दो साल तक वक़्फ़ से सम्बंधित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे थे और उन्होंने संसद को दी गयी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुंयक्त संसदीय समिति को बताया कि वक़्फ़ बोर्ड के सी.ई.ओ. के पद पर नियुक्ति के लिए मुसलमान अधिकारी प्रायः नहीं मिल पाते हैं क्योंकि मुसलमान अधिकारी बहुत कम संख्या में हैं। इस लिए जानवरों के डाक्टर, प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड टीचर और उप-तहसीलदार जैसे लोग वक़्फ़ बोर्ड के सी.ई.ओ. बना दिए जाते हैं। रहमान साहब के इस बयान से भारतीय मुसलमानों के दुखे हुए दिलों को कुछ राहत मिली थी। इसी बीच विभिन्न मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने तथा अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के समक्ष लिखित रूप से वक़्फ़ सर्विस का समर्थन किया। इन पत्रों की प्रतियां प्रधानमंत्री को भी दी गयी हैं। अतः अगले चौदह महीने रहमान ख़ां साहिब के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी सिफ़ारिशें प्रशंसा के योग्य हैं। फिर भी उनमें से अधिकतर सिफ़ारिशों की अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अनदेखी कर रखी है। और उन्हें वक़्फ़ बिल 2010 में जगह नहीं दी है। यह सिफ़ारिशें हैः (1) राज्य वक़्फ़ बोर्ड के सी.ई.ओ. को मजिस्ट्रेट जैसे अधिकार देना, (2) हर राज्य में वक़्फ़ सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति को अनिवार्य करना तथा 1947 से अब तक की सभी वक़्फ़ सम्पत्तियों को सर्वे में शामिल करना, (3) सर्वे कमिश्नर के नोटिफ़िकेशन को म्यूटेशन के समान मानना, (4) वक़्फ़ सम्पत्तियों को लीज़ पर देते समय इस बात को सुनिश्चित करना कि किराया चालू मार्कीट रेट पर ही लिया जाएगा, (5) “नाजायज़ रूप से क़ब्ज़ा धारक व्यक्ति” (*Encroacher*) की परिभाषा क़ानून में देना, (6) वक़्फ़ सम्पत्तियों को सार्वजनिक भवन/भूमि (*Public Premises*) के रूप में संरक्षण देना ताकि उन पर से अतिक्रमण हटाने में आसानी हो, (7) वक़्फ़ सम्पत्तियों से अतिक्रमण को हटाने के लिए सी.ई.ओ. को बे दख़ली (Eviction) के अधिकार देना, (8) वक़्फ़ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के लिए 2 साल की सज़ा तथा पांच लाख रु. जुर्माना लगाने का क़ानून बनाना और इस रक़म को वक़्फ़ फ़ण्ड में जमा किया जाना, (9) अतिक्रमण को दण्डनीय अपराध (Cognizable Offence) घोषित करना, (10) अतिक्रमण हटवाने की ज़िम्मेदारी पूरी न करने वाले या उसमें रुकावट बनने वाले अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को सज़ा देना, (11) “वक़्फ़ भूमि या परिक्षेत्र” *(Waqf Premises*) की परिभाषा क़ानून में शामिल करना, (13) वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के लिए अधिक से अधिक एक साल की अवधि निर्धारित करना, तथा (14) वक़्फ़ सम्पत्तियों को विक्सित करके उनकी आय से मुसलमानों के शैक्षिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड गठित करना। यह सुझाव एक एसी ठोस क़ानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए बहुत महत्तवपूर्ण हैं जिससे वक़्फ़ सम्पत्तियों की दुर्दशा को दूर किया जा सकता है तथा उनके उपयोग का धारा मुसलमानों के विकास की ओर मोङा जा सकता है।

केन्द्रीय वक़्फ़ काउंसिल के सचिव पद पर नियुक्तिक के लिए सम्बंधित नियावमली में केवल यह लिखा हुआ है कि मंत्री महोदय जिस मुसलमान को चाहें सचिव बना सकते हैं। देश के किसी भी अन्य संस्था के लिए बनाई गयी नियमावली में इतनी उदारता से काम नहीं लिया गया है। हिन्दू समुदाय की समर्पित सम्पत्तियों की देखभाल के लिए लगभग दर्जन भर राज्यों के क़ानून में यह लिखा हुआ है कि उनका हिन्दू होना तो अनिवार्य है ही किन्तु नियुक्त अधिकारी राज्य प्रशासन में वरिष्ठ श्रेणी का होना चाहिए। अतः “हरदेव स्थान”, “बङे मन्दिर” आदि ट्रस्टों का सचिव वरिष्ठ आई.ए.एस अधिकारी होता है। किन्तु इसके विपरीत वक़्फ़ की केन्द्रीय काउंसिल के सचिव के लिए किसी भी सरकारी श्रेणी का होना ज़रूरी नहीं है। यही कारण है कि केन्द्रीय वक़्फ़ काउंसिल के सचिव को मंत्रालयों तथा विभागों के अधिकारी महत्तव नहीं देते और वक़्फ़ प्रबंधन अव्यवस्था का शिकार है। इसका एक उदाहरण यह है कि केन्द्रीय वक़्फ़ काउंसिल तथा पुरातन सर्वेक्षण विभाग के बीच होने वाली तिमाही मीटिंगें, जिनकी रिपोर्टों से स्पष्ट है कि पुरातन विभाग का पलङा ही भारी रहता है, कारामद नहीं हो रही हैं। इस लिए सच्चर कमेटी ने सिफ़ारिश की कि केन्द्रीय वक़्फ़ काउंसिल का सचिव भारत सरकार के कम से कम ज्वाइंट सेक्रेट्री स्तर का होना चाहिए। ताकि वह सभी मंत्रालयों एंव विभागों में उच्च स्तर पर प्रभावी भूमिका निभा सके। लेकिन वक्फ़ विधियक 2010 में इस महत्तवपूर्ण सिफ़ारिश का भी कोई ज़िक्र नहीं है तथा न कोई वजह बताई गयी है कि मुसलमानों की वक़्फ़ सम्पत्तियों के प्रबंधन में यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। के. रहमान ख़ां साहब को इस तरफ़ ध्यान देने की ज़रूरत है।

अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी केवल नाममात्र को हो रही है, इस प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाना होगा। इस में हर स्तर पर मुसलमानों को शामिल करने से ही कुछ काम चलेगा। उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो राज्य सरकार द्वारा होती है उस पर केन्द्र की पैनी नज़र रहना भी ज़रूरी है। 1400 अतिरिक्त आई.पी.एस भर्ती करने के लिए मुसलमानों के हित को नज़र अंदाज़ करके अपनाई जाने वाली केन्द्र की नीति पर गोहाटी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। रहमान साहब को गृह मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पैरवी करनी होगी कि गोहाटी हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध केन्द्र सरकार अपील न करे। इस बारे में रहमान साहब के पूर्वत मंत्री ने गृह मंत्री तथा प्रधानमंत्री से बातचीत की थी। इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुसलमानों के आरक्षण के मामले में आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में इस तरह बचाव करना होगा कि 1950 से मुसलमान अनुसूचित जातियों की परिभाषा से बे-दख़ल चले आ रहे हैं, इस लिए वे शैक्षिक, आर्थिक एंव सामाजिक रूप से पूरी तरह पिछङ गए हैं। अतः उनके लिए संविधान की धारा 16 के अन्तर्गत आरक्षण ज़रूरी है जैसा कि मिश्रा आयोग ने सिफ़ारिश की है।

रहमान साहब ने क्रिया-प्रतिक्रिया के एक नए कुरूक्षेत्र में क़दम रखा है, यहां हमें उनका स्वागत करना चाहिए। आईए! अल्लामा इक़बाल की भाषा में हम उन्हें प्रेरणा दें किः “तेरी कलाशीलता से एक नयी दुनिया आबाद होने की मुंतज़िर है”

***आबाद है एक ताज़ा जहां तेरे हुनर में***

आबाद है एक ताज़